

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा

म०प्र०

निगरानी 1629-II-15



Rs. 40/-

156  
27-5-15

- 1- इस्लाम खां वल्द अनवर खां उम्र 55 वर्ष,
  - 2- सरवर खां वल्द अनवर खां उम्र 50 वर्ष,
- दोनो निवासी गोइहा, तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा  
म०प्र०

निगरानीकर्तागण

बनाम्

लोल्ली खां वल्द सहाबुद्दीन उम्र 72 वर्ष निवासी गोइहा  
तहसील-सेमरिया, जिला-रीवा म०प्र०

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर  
आयुक्त रीवा संभाग रीवा आदेश  
दिनांक 13-05-15 अपील  
क्रमांक-1025/अपील/2005-06  
लोल्ली बनाम् इस्लाम खां वगैरह  
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू-राजस्व संहिता

श्रीमान् सिद्ध चंदेल  
द्वारा आज निगरानी  
प्रस्तुत किया गया।  
27-5-15

सीकर  
सिद्ध चंदेल

8/6/15

मान्यवर,

संक्षिप्त विवरण

यह कि गैर निगरानीकर्ता द्वारा आराजी नम्बर-3/3  
रकवा 3.24ए० स्थित मौजा गोइहा तहसील सिरमौर  
(सेमरिया) को फर्जी तौर से अपने नाम कराते हुये 3/3  
का ही रकवा 1.62ए० अपने नाम करा लिया था  
जिसकी अपील निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी  
के समक्ष प्रस्तुत की गई जहां से कथित नामान्तरण  
फर्जी होने से प्रकरण रिमाण्ड कर दिया गया तथा


M


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

(11)

मामला क्र. नि.1629/दो/15

जिला-रीवा

(1)	(2)	(3)
27.10.16	<p>आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मौखिक निवेदन किया है, कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। केवियटकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता श्री रमानंद मिश्र उपस्थित हुए। आवेदक के अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर प्रकरण को नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



2016